

फैक्स
एवं
ई मेल

बिहार सरकार

विधि विभाग

ज्ञाप संख्या जी०/बी०टी०-30-22/2017.....५५/जे०, पटना, दिनांक ०८-०१-१८
सेवा में,

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
सिवान ।

विषय:- मुख्यशीर्ष-2014-न्याय प्रशासन, लघुशीर्ष-105-सिविल और सेशन न्यायालय, उपशीर्ष-0001-सिविल और सत्र न्यायालय के अन्तर्गत वेतन एवं भत्ते, यात्रा व्यय, विद्युत प्रभार एवं आतिथ्य व्यय विषयशीर्ष में वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंधित राशि से व्यय हेतु निम्न प्रकार कुल-1,57,48,400/- (एक करोड़ सन्तावन लाख अड़तालीस हजार चार सौ) रुपये का अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति।

।। आवंटित राशि का ब्यौरा ।।

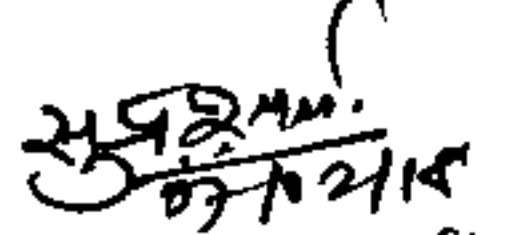
क्र०सं०	विषयशीर्ष	आवंटन की राशि (रुपये में)
1.	01.01-01.07-वेतन एवं भत्ते	1,50,00,000/- (एक करोड़ पचास लाख)
2.	11.01-यात्रा व्यय	3,00,000/- (तीन लाख)
3.	13.04-विद्युत प्रभार	2,00,000/- (दो लाख)
3.	20.01-आतिथ्य व्यय	2,48,400/- (दो लाख अड़तालीस हजार चार सौ)
कुल-1,57,48,400/- (एक करोड़ सन्तावन लाख अड़तालीस हजार चार सौ) रुपये		

प्रसंग:- आपका पत्र संख्या-06, दिनांक-19.01.2018

आदेश:- स्वीकृत।

- व्यय का विकलन मुख्यशीर्ष-2014-न्याय प्रशासन-लघुशीर्ष-105-सिविल और सेशन न्यायालय, उपशीर्ष-0001-सिविल और सत्र न्यायालय के अन्तर्गत वेतन एवं भत्ते, यात्रा व्यय, विद्युत प्रभार एवं आतिथ्य व्यय विषयशीर्ष में वित्तीय वर्ष 2017-18 में होगा।
- राशि का आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561वि०(2), दिनांक-17.4.1998 में दिये गये निर्देश के आलोक में दिया जाता है।
- वित्त विभाग के ज्ञाप संख्या-428/वि०, दिनांक-31.03.2017 के आलोक में उपबंधित राशि को नियमानुसार व्यय करने की अनुमति प्रदान की जाती है।
- कृपया मासिक व्यय विवरणी शीघ्र भेजा जाय। लेखा सत्यापन हेतु ससमय विहित प्रपत्र में व्यय प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय।
- इस शीर्ष की माँग संख्या-27 एवं विपत्र कोड-27-2014001050001 है।

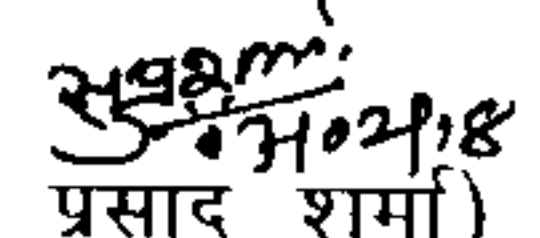
बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या-जी०/बी०टी०-30-22/2017.....५५/जे०, पटना, दिनांक ०८-०१-१८

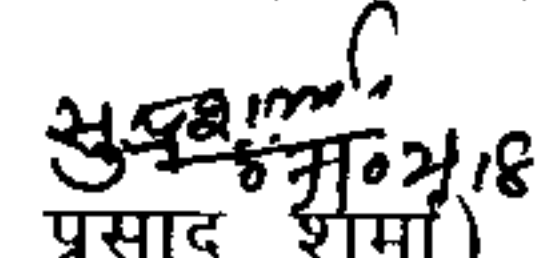
प्रतिलिपि:-जिला कोषागार पदाधिकारी, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।


(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या-जी०/बी०टी०-30-22/2017.....५५/जे०, पटना, दिनांक ०८-०१-१८

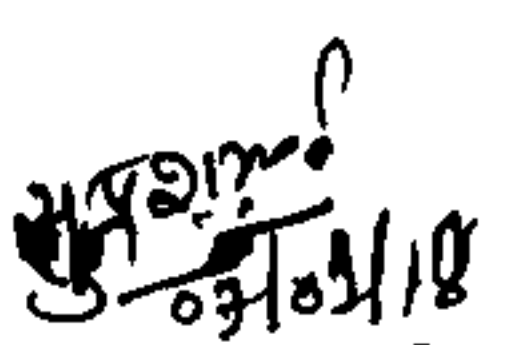
प्रतिलिपि:-प्रमंडलीय आयुक्त, सारण प्रमंडल, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।


(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या-जी०/बी०टी०-30-22/2017.....५५/जे०, पटना, दिनांक ०८-०१-१८

प्रतिलिपि:-विभागीय आई०टी० मैनेजर, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।


(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)

सरकार के सचिव, बिहार।
०८/०१/१८